A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी—

श्री घनश्याम शर्मा
आर.ए.एस

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
100 / प्रा0पत्र / 19	20.12.2019	24.06.2024

कन्हैयालाल आ0 गोपाल जाति मीणा नि0 लीलदा पंचायत डोकून तहसील नैनवा, जिला बून्दी।

—प्रार्थी

बनाम

हीरा आ0 मीया जाति बेरवा नि0 गुढा गोपाल जी पंचायत जेतपुर तहसील नैनवा, जिला बून्दी।

—अप्रार्थी

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से—अभिभाषक श्री पुरूषोतम पंचोली
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी हीरा को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 301 वर्तमान खसरा संख्या 709 / 301 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम गुढ़ा गोपालजी, पंचायत जेतपुर तहसील नैनवा आवंटन आदेश दिनांक 26.12.1985 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तथा अधिनस्थ न्यायालय की आंवटन पत्रावली को तलब किया गया। अप्रार्थी दिनांक 22.02.2022 को बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इसके विरूद्व दिनांक 22.02.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस समाअत की गई।

वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना् पत्र मे अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुवे तर्क प्रस्तुत किये की आराजी खसरा संख्या 301 वर्तमान खसरा संख्या 709 / 301 ग्राम गुढ़ा गोपालजी, पंचायत जेतपुर तहसील नैनवा जिला बून्दी में विस्थित है। इस जमीन को आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.12.85 को अप्रार्थी के नाम आंवटन किया गया था। उक्त भूमी लगभग 40 वर्षो से प्रार्थी के पिता के कब्जें एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थी के कब्जेकाश्त में चली आ रही है। उक्त भूमी पर आज तक भी आंवटी का कब्जा नही है ना ही कब्जा लेने का कोई प्रयास किया गया। अप्रार्थी के पास ग्राम गुढागोपालजी में लगभग 25—30 बीघा जमीन है। इस प्रकार अप्रार्थी भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आता है, यह भूमि आवंटन के समय अप्रार्थी के खाते में दर्ज थी जो अन्य भागीदारान से काश्त करवाता है। प्रार्थी के पास इसके अलावा अन्य कोई भूमि नही है। उक्त आवंटन में नियमानुसार घोषणा नही हुई जो नियम विरूध है। प्रार्थी को उक्त आवंटन भूमि की जानकारी लगभग ढाई माह पूर्व हुई, इस पर प्रार्थी ने आवंटन की नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी हीरा ने आंवटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियमों का

G7

A 6/2

उल्लंघन किया गया है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी हीरा का कब्जाकाश्त नहीं होकर प्रार्थी का कब्जा है जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज पत्रावली में शामिल मिसल है जिनमें ग्रामवासियों का पंचनाम व प्रार्थी का बिजली का बिल है। तहसीलदार नैनवा से वर्तमान मौका स्थित की रिर्पोट में वर्तमान में भूमि खसरा संख्या 301 वर्तमान खसरा संख्या 709/301 रकबा 10 बीघा पर प्रार्थी का कब्जा काशत है। अतः अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 301 वर्तमान खसरा संख्या 709/301 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम गुढ़ा गोपाल जी, पंचायत जेतपुर तहसील नैनवा आवंटन आदेश दिनांक 26.12.1985 को निरस्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावे।

हमने बहस प्रार्थी पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को तलब किये जाने पर अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्व दिनांक 22.02.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की राहत नहीं चाहिए। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार नैनवा से प्राप्त वर्तमान मौका स्थिति रिर्पाट में अप्रार्थी का कोई कब्जाकाश्त होना नही पाया गया है, आवंटन के समय खसरा संख्या 301 था जिसका विभाजन होने के उपरान्त नवीन खसरा संख्या 709/301 है जिस पर पर वर्तमान में प्रार्थी का कब्जाकाश्त हैं। अप्रार्थी द्वारा भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के आवंटन नियमों एवं शर्तो की पालना नहीं की गयी हैं। इस संबंध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) का अवलोकन किया जिसमें यह उल्लेखित हैं कि यदि आवंटन कपट या दुव्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आंवटन को निरस्त किया जा सकेगा। आवंटी का उक्त आवंटित भूमि में कभी कब्जाकाश्त नही रहा है, जिससे प्रथमदृष्टया आवंटन की शर्तो का उल्लंघन प्रतित होता है। अतः उपरोक्त तथ्यो के परीक्षणोपरान्त अप्रार्थी हीरा को किये गए आवंटन को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी हीरा को किया गया आवंटन आराजी खसरा संख्या 301 वर्तमान खसरा संख्या 709/301 वाके ग्राम गुढ़ा गोपालजी, पंचायत जेतपुर तहसील नैनवा आवंटन आदेश दिनांक 26.12.1985 को खारिज किया जाता हैं। विवादित आराजी को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जाकर अतिक्रमी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे। अधिनस्थ न्यायालय की निर्णय पत्रावली मय निर्णय के भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर,
बूंदी